



कम्प्यूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं०

48490—S.J.&E.—Item No. 5—H.G.P., Chd.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता के लिये आवेदन-पत्र

फोटो

जिला खण्ड/शहर..... ग्राम/वार्ड..... आवेदन तिथि

- माँ का नाम
(अगर माँ जीवित है, तो भत्ते की राशि माँ के खाते में जायेगी)
- प्रार्थी का नाम
- आवेदक के पिता/पति का नाम
- आवेदक की जन्म तिथि/आयु आयु
- आवेदक के बच्चों का पूर्ण विवरण :

नाम	जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	पुरुष/महिला
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

- पूर्ण स्थाई पता
- गरीबी रेखा सूची संख्या
- क्या आवेदक हरियाणा राज्य का अधिशासी है ?
 हां नहीं
- क्या आवेदक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है ?
 हां नहीं
- क्या आवेदक पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित है ?
 हां नहीं
- परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आमदनी।
(इसमें वेतन, पेंशन पारिवारिक पेंशन, पी०एफ० पर मिलने वाला ब्याज आदि भी शामिल है।)

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

शपथ

मैं, श्रीमति/कुं पुत्री/पत्नी /श्री
निवासी
सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास अनुसार ठीक एवं सत्य है। मेरा कोई पुत्र नहीं है या कोई लड़का गोद नहीं लिया हुआ है, यदि मेरे द्वारा गलत तथ्य बताकर भत्ता प्राप्त किया गया तो, सरकार को मेरी सभी प्रकार की पेंशन/भत्ता बन्द करने व 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की गई राशि की वसूली का अधिकार होगा।

सत्यपान (सम्बन्धित सरपंच/वार्ड पार्षद/राजपत्रित अधिकारी द्वारा)
नाम पद

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता

तिथि

हस्ताक्षर

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/

सचिव, नगर निगम/नागरिक सेवा केन्द्र (CSC)

नाम

पद

नोट : पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रार्थी को नीचे रसीद देवें एवं आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को अग्रेषित करें अन्यथा आवेदन-पत्र कारण सहित प्रार्थी को वापिस लौटायें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी का निर्णय

स्वीकृत

अस्वीकृत

तिथि

हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र प्राप्ति रसीद

क्रमांक दिनांक

श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्री/पत्नी निवासी

..... से दिनांक को लाडली सामाजिक

सुरक्षा भत्ता हेतु फार्म प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/

सचिव, नगर निगम/नागरिक सेवा केन्द्र (CSC)

नाम

पद